

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (भारतीय विद्युत अधिनियम 2003) गोहदजिला भिण्ड, (म0प्र0)(समक्ष – सतीश कुमार गुप्ता)विशेष विद्युत प्रकरण क0 82/12संस्थापन दिनांक-18-05-2012

म0प्र0 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, द्वारा
श्री हरीश मेहता कनिष्ठ यंत्री म0प्र0म0क्ष0वि0वि0
कंपनी लिमिटेड मालनपुर, जिला भिण्ड (म0प्र0)

-----परिवादी/परिवादी कंपनी

॥ वि रू द्ध ॥

परमाल सिंह पाल पुत्र स्व. श्री बदन सिंह आयु 55
वर्ष निवासी ग्राम सिंगवारी थाना मालनपुर, जिला
भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियुक्त

परिवादी की ओर से – श्री ए0के0 श्रीवास्तव अधिवक्ता।

अभियुक्त की ओर से – श्री एम0एस0 यादव अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 09/05/18 को घोषित)

01. परिवादी पक्ष के द्वारा, कनेक्शनधारी स्व. हरीराम के नाम से प्रदत्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-01-10080 पर विद्युत बिल की राशि 63039/- रुपये बकाया होने से उक्त कनेक्शन को दिनांक 05.12.2011 को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था, किन्तु चैकिंग के दौरान दिनांक 15.12.11 को 02:00 बजे, ग्राम सिंगवारी थाना मालनपुर में उक्त विद्युत कनेक्शन बावत अभियुक्त/उपयोगकर्ता परमाल अनाधिकृत रूप से विद्युत लाईन पर दो सफेद रंग के पी.वी.सी. तार जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते हुए पाया गया। इस संबंध में अभियुक्त पर विद्युत अधिनियम

2003 की धारा 138 का आरोप लगाया गया है।

02. प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत/निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. प्रस्तुत परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी हरीश मेहता, म०प्र०म०क्षे० विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड मालनपुर, जिला भिण्ड में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ होकर परिवाद प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। परिवादी कम्पनी के द्वारा कनेक्शनधारी हरीराम को घरेलू प्रकाश हेतु विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-01-10080 दिया गया था। उक्त कनेक्शन पर बिल की राशि 63039/- रूपए बकाया होने से और उपयोगकर्ता/अभियुक्त परमाल सिंह द्वारा बिल जमा न करने के कारण उसे दिनांक 21.11.11 को धारा 56 विद्युत अधिनियम का नोटिस प्र०पी०-1 भेजा गया था। तत्पश्चात् बकाया बिल की राशि उपयोगकर्ता/अभियुक्त द्वारा जमा नहीं किये जाने के कारण दिनांक 05.12.11 को परिवादी कंपनी की ओर से उक्त कनेक्शन को अस्थाई रूप से विधिवत विच्छेदित कर दिया गया था और प्र०पी०-2 का नोटिस देकर विद्युत का उपयोग न करने एवं सात दिवस के अंदर बकाया राशि जमा करने का निर्देश कनेक्शनधारी हरीराम को दिया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 15.12.11 को 02:00 बजे, ग्राम सिंगवारी थाना मालनपुर पहुंचकर जांच अधिकारी परिवादी हरीश मेहता जे. ई. द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण कुलदीप श्रीवास्तव ए.ओ., लाईन हेल्पर लाखन सिंह व अखिलेश तिवारी के साथ उक्त कटे हुये विद्युत कनेक्शन का निरीक्षण करने पर उपयोगकर्ता/अभियुक्त परमाल सिंह के द्वारा कटे हुये विद्युत कनेक्शन के बावत परिवादी कंपनी की विद्युत लाईन पर अनाधिकृत रूप से दो सफेद पी०वी०सी० तार जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते पाये जाने पर मौके पर उपस्थित अभियुक्त के समक्ष उक्त संबंध में पंचनामा प्र०पी०-3 तैयार किया गया, जिस पर अभियुक्त की पत्नी श्रीमती रामवेटी सहित उक्त कर्मचारीगण के हस्ताक्षर कराए गए। तत्पश्चात् परिवादी पक्ष की ओर से परिवाद पत्र धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत अभियुक्त परमाल के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश किया गया।

04. परिवाद प्रस्तुत करने पर उपयोगकर्ता/अभियुक्त परमाल सिंह के द्वारा प्रथम दृष्टया भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध घटित करना पाये जाने से उसके विरुद्ध आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध घटित करना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहे जाने पर परिवादी कंपनी की ओर से परिवाद के समर्थन में

परिवादी/साक्षी हरीश मेहता प०सा०-1 का परीक्षण कराया गया। तदोपरांत दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने झूठा फंसाया जाना प्रकट करते हुये बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :

“क्या अभियुक्त परमाल सिंह के द्वारा दिनांक 15.12.11 को करीब 02:00 बजे, ग्राम सिंगवारी थाना मालनपुर में कनेक्शनधारी हरीराम के नाम से प्रदत्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-01-10080, जो कि पूर्व में अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया था, को अनाधिकृत रूप से पुनः एल. टी. लाइन से सीधे तार डालकर विद्युत का उपयोग किया जा रहा था ?”

// साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष //

06. जहाँ तक उक्त विचारणीय प्रश्न का संबंध है, परिवादी कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता प०सा०-1 का अपने मुख्य परीक्षण में कहना है कि वह दिनांक 21.11.11 को म०प्र०म०क्ष०वि० वितरण कंपनी मालनपुर में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा ग्राम सिंगवारी में विद्युत कनेक्शनधारी हरीराम पुत्र हरदेव को देने के लिये घरेलू विद्युत कनेक्शन क्रमांक 71-1-10080 पर बकाया राशि 63039/- रुपये होने के कारण धारा 56 के अंतर्गत 15 दिवसीय नोटिस प्र०पी०-1 अधीनस्थ कर्मचारी लाखन सिंह के माध्यम से भिजवाया था, जिसे उपभोक्ता की पुत्रवधु रामवेटी को दिया गया। तत्पश्चात् भी उपभोक्ता/अभियुक्त परमाल सिंह द्वारा उक्त बकाया राशि जमा न करने के कारण उसने अपने अधीनस्थ कर्मचारी लाखन सिंह को भेजकर दिनांक 05.12.11 को पोल से अस्थाई रूप से कनेक्शन विच्छेदित कराया था व प्र०पी०-2 का सूचना पत्र उपयोगकर्ता परमाल सिंह की पत्नी रामवेटी को दिया गया था, लेकिन उसके बाद दिनांक 15.12.11 को उसके द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण कुलदीप श्रीवास्तव, लाईन हेल्पर लाखन सिंह व अखिलेश तिवारी के साथ प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन का निरीक्षण किये जाने पर अभियुक्त के द्वारा कटे हुये कनेक्शन को अनाधिकृत रूप से विद्युत लाईन से पुनः जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते हुये पाये जाने पर उक्त संबंध में मौके पर ही प्र०पी०-3 का पंचनामा बनाया था एवं उस पर उपयोगकर्ता परमाल सिंह की पत्नी रामवेटी का निशानी अंगूठा लगवाया गया था।

07. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि वह नहीं बता सकता कि ग्राम सिंगवारी में अभियुक्त परमाल सिंह के कितने मकान हैं उसने तो केवल एक ही मकान देखा था। उसके द्वारा परमाल के विरुद्ध न्यायालय में कब प्रकरण पेश किया वह नहीं बता सकता। प्र0पी0-3 पर हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा के कॉलम में हस्ताक्षर नहीं हैं। स्वतः कहा कि अन्य दो जगह निशानी अंगूठा है। यह सही है कि परमाल का प्र0पी0-3 पर कोई निशानी अंगूठा व हस्ताक्षर नहीं है। यह सही है कि प्र0पी0-3 पर रामवेटी को एक जगह पुत्रवधू व एक जगह नातीबहू लिखा गया है, इसमें कौन सा रिश्ता सही है वह नहीं बता सकता। उसके अधीनस्थ कर्मचारी लाखन सिंह के द्वारा दिनांक 05.12.11 को कनेक्शन काटा गया था। अभियुक्त एल0टी0 लाईन से सफेद रंग के 50 फुट लंबे तार जोड़े थे। यह सही है कि निरीक्षण के दौरान घर पर रामवेटी के अलावा अन्य कोई घर का सदस्य नहीं था। निरीक्षण के दौरान उपभोक्ता के घर वालों के द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया था। आसपास के लोगों द्वारा किया गया था, इस कारण जप्ती की कार्यवाही नहीं की गई थी। वह नहीं बता सकता कि उक्त दिनांक को किस-किस के कनेक्शन चैक किये गये थे। जिस दिन मीटर चैक किया गया था उस समय मीटर खराब लगा हुआ था तथा जिस समय पंचनामा बनाया था, उस समय मीटर नहीं लगा था। वह नहीं बता सकता कि उपभोक्ता का मीटर कहां चला गया है। यह सही है कि उसे उपभोक्ता के मीटर को लगाने की जानकारी नहीं है, लेकिन यह गलत होना बताया है कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध कार्यालय में बैठकर संपूर्ण कार्यवाही करते हुये असत्य परिवाद पेश किया है।

08. इस प्रकार विचारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्तानुसार अभिलेखगत साक्ष्य सहित प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि परिवादी कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता प0सा0-1 ने अपने न्यायालयीन कथनों में दिनांक 21.11.11 को म0प्र0म0क्षे0वि0वि0 कंपनी मालनपुर में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ रहते हुये कनेक्शनधारी स्व. हरीराम के घरेलू विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-1-10080 पर विद्युत बिल की राशि 63039 बकाया होने के कारण उसने धारा 56 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत प्र0पी0-1 का नोटिस जारी किया था, जो अधीनस्थ कर्मचारी लाखन सिंह द्वारा कनेक्शनधारी की पुत्रवधू को दिया गया था।

09. इसी प्रकार परिवादी कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता प0सा0-1 का अपने कथनों में आगे

कहना है कि प्र०पी०-1 का नोटिस दिये जाने के पश्चात बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण दिनांक 05.12.11 को अपने अधीनस्थ कर्मचारी लाखन सिंह को भेजकर उक्त विद्युत कनेक्शन को काटते हुये अस्थायी रूप से विच्छेदित कराया था और उपयोगकर्ता अभियुक्त परमाल सिंह की पत्नी रामवेटी को प्र०पी०-2 का नोटिस दिया गया था, लेकिन कथित कर्मचारी लाखन सिंह, जो कि प्र०पी०-1 व 2 के नोटिस की तामील कराने एवं प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन को काटने के संबंध में अति महत्वपूर्ण साक्षी है, को ही परिवादी पक्ष द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में परीक्षित नहीं कराया गया है तथा उक्त संबंध में स्वयं परिवादी कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता प०सा०-1 के कथन अनुश्रुत श्रेणी स्वरूप के हैं और प्रत्यक्ष श्रेणी के स्वरूप के नहीं हैं एवं प्रकरण के साथ संलग्न प्र०पी०-1 व 2 के नोटिस भी सुस्थापित विधिक स्थिति के अनुसार मूल साक्ष्य के स्वरूप के नहीं होकर अनुसमर्थनकारी स्वरूप भर के हैं।

10. अतः विचाराधीन मामले में प्र०पी०-1 व 2 का नोटिस अभियुक्त पक्ष पर तामील कराये जाने एवं दिनांक 05.12.11 को प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन का अस्थायी रूप से विच्छेदन किये जाने के संबंध में धारा 91 व 92 साक्ष्य विधान के आलोक में सर्वोत्तम श्रेणी की साक्ष्य का अभाव होने के कारण संदेह से परे यह साबित होना नहीं पाया जाता है कि परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्त पक्ष पर प्र०पी०-1 व 2 का नोटिस तामील कराया गया है एवं दिनांक 05.12.11 को प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन को अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया था।

11. परिवादी कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता प०सा०-1 का अपने कथनों में आगे कहना है कि दिनांक 15.12.11 को उसके द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण कुलदीप श्रीवास्तव, लाईन हेल्पर लाखन सिंह व अखिलेश तिवारी के साथ प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन का निरीक्षण किये जाने पर उपयोगकर्ता अभियुक्त परमाल सिंह के द्वारा कटे हुये कनेक्शन को अनाधिकृत रूप से विद्युत लाईन से पुनः जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते हुये पाये जाने पर उक्त संबंध में मौके पर ही प्र०पी०-3 का पंचनामा बनाया था, जबकि मौके का पंचनामा प्र०पी०-3 के अवलोकन से पाया जाता है कि उसमें परिवादी हरीश मेहता प०सा०-1 के बताये अनुसार ऐसा लेख नहीं है कि उपयोगकर्ता अभियुक्त परमाल सिंह ने कटे हुये कनेक्शन को ही परिवादी कंपनी की विद्युत लाईन से पुनः जोड़कर अनाधिकृत रूप से विद्युत

का उपयोग किया गया था, बल्कि उक्त पंचनामा में 50 फुट लंबे सफेद रंग के पी.वी.सी. के विद्युत तार को डालकर अनाधिकृत रूप से विद्युत उर्जा का उपयोग किये जाने के संबंध में लेख है और प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 3 में भी उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण के विपरीत प्रकट किया है कि एल0टी0 लाईन से 50 फुट लंबे सफेद रंग के तार डाले गये थे तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 2 में यह स्वीकार किया गया है कि मौके का पंचनामा प्र०पी०-3 पर रामवेटी को एक जगह पुत्रबधू व एक जगह नाती बहू होना लेख किया गया है और इसमें कौन सा रिश्ता सही है वह नहीं बता सकता है एवं यही स्थिति प्र०पी०-1 लगायत 3 के दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकट है।

12. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहां एक ओर परिवादी कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता प०सा०-1 न्यायालयीन कथनों में अपने स्टेण्ड पर दृढ़तापूर्वक स्थिर नहीं है, वहीं दूसरी ओर परिवादी कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता प०सा०-1 के उक्त कथनों की भली भांति पुष्टि स्वयं उसके द्वारा तैयार किये गये मौके का पंचनामा प्र०पी०-3 के अवलोकन से होना नहीं पाई जाती है, बल्कि उनके मध्य उपरोक्तानुसार सारवान विसंगति होना पाया जाता है तथा उपर के पैराओं में किये गये विवेचन के प्रकाश में परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्त पक्ष पर प्र०पी०-1 व 2 के नोटिस को तामील कराया जाना एवं दिनांक 05.12.11 को प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाना मामले में संदेह से परे साबित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में परिवादी कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता प०सा०-1 के उक्त कथनों के आधार पर उपयोगकर्ता/अभियुक्त परमाल सिंह के द्वारा निरीक्षण दिनांक 15.12.11 को अनाधिकृत रूप से कटे हुये कनेक्शन को जोड़कर विद्युत का उपयोग किया जाना भी साबित होना नहीं माना जा सकता है।

13. परिणामतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर परिवादी हरीश मेहता प०सा०-1 के उक्त कथनों सहित उसके द्वारा संपादित प्रश्नगत कार्यवाही विश्वासप्रद स्वरूप की होना नहीं पाये जाने से विचारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर ठोस, दृढ़ एवं विश्वासजनक साक्ष्य का अभाव होने से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त परमाल सिंह के द्वारा दिनांक 15.12.11 को करीब 02:00 बजे, ग्राम सिंगवारी थाना मालनपुर में कनेक्शनधारी हरीराम के नाम से प्रदत्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-01-10080, जो कि पूर्व में अस्थाई रूप से विच्छेदित

किया गया था, को अनाधिकृत रूप से पुनः एल. टी. लाइन से सीधे तार डालकर विद्युत का उपयोग किया जा रहा था। तदनुसार अभियुक्त परमाल सिंह को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के अपराध आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14. अभियुक्त जमानत पर है अतः उसके जमानत प्रपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

(सतीश कुमार गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०